

सं ४०५० १४८-२०८४१०२

संलग्नक-१

३

श्री रानी रंजनप्रसादी,
अनुमानित,
उ०प्र० विभाग ।

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक,
उ०प्र०, राँची ।

वन विभाग -२

लखनऊ: दिनांक १-८ अगस्त, १९७२

विषय:- भोरी हिन्दुस्तानी को १३२ कै०वी० ट्रान्सा मिशन लाइन से १५-८० एकड़ भूमि का हस्तांतरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सं० जी-२०६।११-२८, दिनांक २६-७-७२ के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निवेदन हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने भोरी हिन्दुस्तानी बतुनियम कापीरेशन फिजियर को १३२ कै०वी० ट्रान्सा मिशन लाइन से लिए दूरी वन प्रभाग में पिपरी रेंज के सुरक्षा ब्लाक कम्पाटिमेंट नं० न १६ व १७ की १५-८० एकड़ भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

- १- पट्टे की अवधि २५ वर्ष की होगी ।
- २- पट्टेदार ६,४०० रु० प्रीमियम एवं ४०४ रु० वार्षिक किराया देगा ।
- ३- पट्टेदार उक्त भूमि पर लड़े पेड़ों का मूल्य विक्री कर संजित ६८१७ रु० ३७ पैसे देगा ।
- ४- पट्टे पर दिये जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि रक्षित वन बनी रहेगी ।
- ५- पट्टेदार उक्त भूमि पर २,००० गैलन पीने का पानी प्रदान फॉरेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेंगा ।
- ६- प्रीमियम व किराये की उक्त वार्षिक तथा पेड़ों का मूल्य प्राप्त दिनांक १/८ - वन के सम्बन्धित मूल उप हीर्षिक के जन्तुगत जवा की जायेगी ।
- ७- कुप्रा विदेश का बालेय तालन को भेज दें एवं पट्टेदार को निवेदन है कि वे ३२ रु० विपरीत गुरु के रूप में ट्रेजरी में निम्नलिखित प्राप्त लेवा दिनांक के अन्तर्गत जवा करके ट्रेजरी बालान गवर्नमेंट कन्वेयेन्सर, उ०प्र० विभाग भवन, लखनऊ के पास भेज दें :-

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory



मन्त्रालय प्रमाण-प्रतीक्षा-निष्पी निकायों के लिए नाम

क्षेत्रीय सहायिका

पिपरी रेंज

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

कु०प्र०२०

(२)

४- यह आदेश वित्त विभाग की सहायता से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय सं० ई-७।१८८१।दस-७२, दिनांक २८-८-७२ द्वारा प्रदत्त है।
भवदीय,

(सुनील रंजन वर्मा)
अनुमोदित

सं० (२)।१४-२-७६४।७२

प्रतिरूप सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- १- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- २- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग -७
- ३- अरण्यपाल, दादियाँ वृत्त, उ०प्र०, इलाहाबाद के पास मुख्य अरण्यपाल, को सम्बोधित उनके पत्र सं० ५१७।४०वृ०।१५-५७(ए), दिनांक २०-७-७२ के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(सुनील रंजन वर्मा)
अनुमोदित



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

Phone: 763149, 763148
763147, 763384
Fax No: 763149
बी- 1/72, सेक्टर 'के' अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj
लखनऊ-226024
Lucknow-226024
दिनांक 6 अक्टूबर, 2000
Date

पत्रावली सं० 8बी/04/2074/2000/एफ.सी. / 124
File No.

सेवा में,

प्रमुख सचिव वन
उपरो शासन
बापू भवन
लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गई 6.394 हे० वनभूमि की तीज का नवीनीकरण हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० के पक्ष में किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 413/14-2-2000-749/72 दिनांक 28.1.2000 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है। नोडल अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16.9.2000 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना प्रेषित की है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2(दो) के तहत जनपद सोनभद्र में 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु 6.394 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

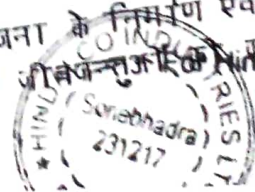
वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वन क्षेप अर्थात् $6.394 \times 2 = 12.788$ हे० में दण्डात्मक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किया जायेगा। वनसंरक्षण अधिनियम के संलग्नक - V के पारेषण लाइनों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का याचक विभाग द्वारा अनुपालना की जायेगी।

याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रखरखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को नुकसान नहीं होगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुक वन प्रभाग, रेनुक, सोनभद्र



(Vivek Kumar)
Authorized Signatory



(Vivek Kumar)

- ॥ 5॥ प्रसन्नत वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।
॥ 6॥ राज्य सरकार द्वारा लाई गई अन्य कोई शर्त यदि हो तो उसका पालन कि जायेगा ।

भवदीय

॥ धर्मेन्द्र प्रकाश ॥
उप वन संरक्षक ॥ केन्द्रीय ॥

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

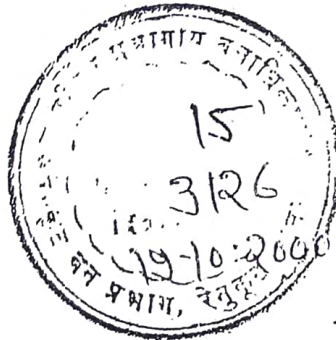
1. निदेशक ॥ एफ. सी. ॥, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लेडी रोड, नई दिल्ली ।
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, मिर्जापुर ।
4. आदेश पत्रावली ।

॥ धर्मेन्द्र प्रकाश ॥
उप वन संरक्षक ॥ केन्द्रीय ॥

प्रभागीय वन अधिकारी

W

18/10/2000



For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory



For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

ਸੰਖਿਆ:ਜੀ. ਆਰ. 774511/1472-378 ਦਿਖਾਓ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही देव
 प्रेरित:-

- [illegible]

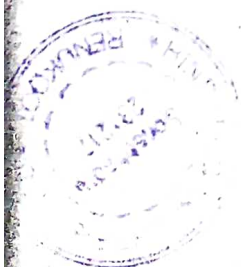
3741

विष्णु प्रसाद सिंह
संयुक्त सचिव।

For Hindalco Industries Limited



(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)



For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

क्षेत्रीय तनाधिकारी

पिपरी रेंज

रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट, सोनभद्र